भारतीय वन (उत्तर प्रदेश) नियम, 1964
(धारा 38–ड.)

भारतीय वन अधिनियम, 1927 जैसा कि अपने प्रवर्तन में उत्तर प्रदेश के लिए संशोधित किया गया है, कि धारा 38–ड. के अधीन शक्तियों के प्रयोग में राज्यपाल निम्नलिखित नियमों को बनाते हुये सन्तुष्ट हैं–

1. संक्षिप्त नाम– इन नियमों को भारतीय वन (उ0प्र0) नियम, 1964 कहा जायेगा।

2. परिभाषायें– (क) ''संरक्षक'' से उत्तर प्रदेश वन विभाग क्षेत्र के प्रभारी वन संरक्षक तात्पर्य है।

(ख) ''धारा'' से भारतीय वन अधिनियम, 1927 जैसा कि अपने प्रवर्तन में उत्तर प्रदेश के लिए संशोधित किया गया है, की धारा तात्पर्य है।

3. प्रबन्ध खर्च– धारा 38–ज के अधीन अधिगृहीत वन या वन भूमि के प्रबन्ध का खर्च उसके आय से ऐसे आय के 20 प्रतिशत दर पर प्रत्युद्धरणीय होगा और निम्नलिखित मदों पर व्यय को शामिल करेगाः

(i) सीमा और सीमा रेखा के रख–रखाव का व्यय,

(ii) वन या वन भूमि के उचित प्रबन्ध के साथ इन कार्यों के लिए अनन्य रूप से रखे गये कर्मचारियों के व्यय के लिये आवश्यक समझे गये अंकन विरल करने, काटने, सांस्कृतिक और अन्य वन–वर्धन संचालन का व्यय,

(iii) स्थानीय और अस्थायी सड़कें, रास्तों, पुलों और भवनों के सन्निर्माण और प्रश्नगत वन या वन भूमि के प्रबन्ध के लिए अपेक्षित पुलों और भवनों को शामिल करके सभी सड़कों के रख–रखाव का व्यय,

(iv) प्रश्नगत वन या वन भूमि के लिए व्यय रूप से रखे गये पर्यवेक्षीय कर्मचारी, यदि कोई हों,

(v) अग्नि–व्यवस्था का व्यय,

(vi) ऐसे वन के लिए पूर्ण आय के 5 प्रतिशत पर ऊपरी व्यय।

प्रतिबन्ध यह है कि वन या वन भूमि के प्रबन्ध का व्यय उसकी आय के 20 प्रतिशत से कम धनराशि होती है, वहॉ उस पर संगणित प्रबन्ध का वास्तविक खर्च प्रत्युद्धरणीय होगा।

4. लेखा– वन या वन भूमि के लाभ और हानि का लेखा यथा सम्भव वार्षिक रूप से किया जायेगा, किन्तु यदि किसी विशिष्ट वर्ष में कोई आय नहीं होती तो ऐसे मामले में लेखा उस वर्ष किया जायेगा जिस वर्ष आय प्रोद्भूत होती है। वर्ष, जिसमें कोई आय नहीं होती, को शामिल करके विकास और प्रबन्ध पर अद्यावधिक उपगत सभी खर्च या व्यय लाभ और हानि का लेखा करते समय विचारण में लिया जायेगा।

(2) लाभ और हानि लेखा का निष्कर्षण, जब कभी तैयार किया जाय, तब वन या वन भूमि, जैसा कि मामला हो, के दावेदार का स्वामी या धारक को प्रदाय किया जायेगा, और शुद्ध लाभ, यदि कोई हो, भी उसे अदा किया जायेगा।

5. प्रबन्ध के लिए वन या वन भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया– (1) धारा–38–ज की उपधारा–(2) के अधीन आक्षेप की प्राप्ति पर, वन अधिकारी वन भूमि का निरीक्षण करेगा या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी/अधिकारियों से निरीक्षण करायेगा और वन भूमि के दावेदार या स्वामि या धारक को, जैसा कि मामला हो, अपने दावे के समर्थन में सभी अभिलेखों और दस्तावेजों के साथ ऐसे निरीक्षण के समय उपस्थित या रहने का निर्देश भी देगा। यदि ऐसे निरीक्षण के समय वन भूमि के दावेदार या स्वामी या धारक उपस्थित रहने में असफल रहते हैं, वन अधिकारी या वन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधीनस्थ अधिकारी/अधिकारियों के निरीक्षण की कार्यवाही करेंगे। जब कभी निरीक्षण अधीनस्थ अधिकारी द्वारा किया जाता है, तब वह लिखित या अपनी रिपोर्ट वन अधिकारी को सौपेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण करने के बाद या अधीनस्थ अधिकारी या अधिकारियों से निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने पर अधिकारी तत्पश्चात् वन या वन भूमि के दावेदार या स्वामी या धारक, जैसा कि मामला हो, से आक्षेपों के निपटारे के लिए विनिर्दिष्ट तिथि और स्थान पर उपस्थित होने की अपेक्षा करेगा। वन या वन

भूमि जैसा कि मामला हो, के दावेदार या स्वामी या धारक को वन अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जायेगा। यदि वह विनिर्दिष्ट तिथि पर उपस्थित होने से असफल रहता है, तो वन अधिकारी एक पक्षीय आदेश करेगा और उसकी सूचना उसे देगा।

(3) वन अधिकारी सम्बन्धित वन संरक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को अपने आदेश की प्रतिलिपि भेजेगा। रिपोर्ट के प्राप्ति पर, राज्य सरकार धारा 38–ज को उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी कर सकेगी।

6. धारा 38–ट के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला आवेदन पत्र इस नियम के परिशिष्ट ''क'' में दिये गये प्रारूप में होगा।

परिशिष्ट ''क''

(नियम 6 देखिये)

भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 38–ट के अधीन आवेदन पत्र का प्रारूप, जैसा कि उत्तर प्रदेश में इसके प्रवर्तन के लिये संशोधित किया गया है:

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,

विषय– भूमि खेती के लिये अनुरोध

महोदय,

मेरा वन प्रबन्ध और विकास के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है। चूँकि मुझे स्वयं अपने लिये कुछ भूमि की आवश्यकता है, इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि भूमि का एक टुकड़ा कृपा पूर्वक मेरे नाम से ..... वर्षो की अवधि के लिए खेती के प्रयोजन के लिए अवमुक्त कर दिया जाये। इस सम्बन्ध में आवश्यक विशिष्टियॉ नीचे दी जाती है:–

(i) दावेदर या स्वामी का या धारक का नाम .....

(ii) अधिग्रहित वन का नाम .....

(iii) एकड़ में अधिग्रहित क्षेत्र .....

(iv) अधिसूचना संख्या और तिथि, जिसके द्वारा वन या बंजर भूमि अधिग्रहित की गयी है.....

(v) अवधि जिसके लिए, वन या बंजर भूमि का अधिग्रहण किया गया .....
.....

(vi) अवमुक्त किये जाने के लिए आवेदित क्षेत्र ..... (यह अधिग्रहीत सम्पूर्ण क्षेत्र के एक ..... पॉचवे से अधिक नहीं होगा।)

(vii) अवधि जिसके लिए अवमुक्ति अपेक्षित है .....

(viii) दावेदार, स्वामी या धारक द्वारा धारित किसी अन्य खेती, यदि कोई और विवरण–

ग्राम का नाम	खसरा भूखण्ड संख्या	क्षेत्र
1	2	

(ix) खेती के अतिरिक्त स्वामी की आय का श्रोत, जिसका विवरण पूर्ववर्ती मद के विपरित दिया जाता है।

आय का स्रोत .....

वार्षिक आय .....

2. प्रबन्ध के लिये वन विभाग द्वारा अधिग्रहीत किये गये तथा 16''–1'' मील माप के इस आवेदन के साथ मुक्त किये जाने के लिए अपेक्षित भूमि के क्षेत्र को दर्शित करता हुआ नक्शा इसके साथ संलग्न किया जाता है।

3. मैं निम्नलिखित शर्तों को स्वीकार करते हुए वचन देता हूँ :

(i) स्वीकृति अवमुक्ति, यदि कोई हो, व्यक्मिगत ओर असंक्रमणीय होगी।

(ii) अवमुक्त भूमि का उप–पट्टा नहीं किया जायेगा।

(iii) भूमि 12 मास के अन्दर खेती के अधीन लायी जायेगी और यह खेती के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयुक्त नहीं की जायेगी।

(iv) परिरेखा तटबन्धन के अतिरिक्त ढलाव भूमि पर समुचित सीढ़ी किसी खेती के प्रारम्भ के पहले बनायी जायेगी। अन्य भूमि संरक्षण उपाय, यदि कोई विहित हो, भी कार्यान्वित किया जायेगा।

आपका

(अपीलार्थी का नाम और पूरा पता)